क्र0 सं0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी,त
01	02	03

न्यायालय, अभिराम त्रिवेदी वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा

उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-74/2021 राज्य बनाम मिस्टर यादव एवं अन्य

-:आदेश:-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-806/म.नि., दिनांक-06.07.2021 के द्वारा मुरलीगंज थाना कांड सं0-233/2021, दिनांक-01.07.2021, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 में जब्त सी0टी0-100 मोटर साईकिल बिना पंजीयन सं0 वाला जिसका चेचिस नं0-MD2BB7AY9KRF95701, इंजन नं0-PFYRKF01837 है को राज्यसात करने का प्रस्ताव समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-74/2021 राज्य बनाम मिस्टर यादव एवं अन्य दर्ज किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा रखे गए पक्ष को सुनवाई के उपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-58 की उप धारा-2 (15) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमानुसार वाद निष्पादन हेतु अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया है, जिस पर दिनांक-29.07.2021 से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्राप्त प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया है कि विषयोक्त थाना कांड में जब्त मोटर साईकिल पर लदा प्लास्टिक बोरा से आधा-आधा लीटर वाला कुल 26 पीस, मात्रा-13 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। जब्त मोटर साईकिल को राज्यसात करने की अनुशंसा की है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारण कर इस न्यायालय के डी0बी0 नं0-09/न्या0, दिनांक-31.07.2021 के द्वारा प्रतिवादी श्री मिस्टर यादव, पिता स्व0 महेन्द्र प्रसाद यादव, सा0-गम्हरिया वार्ड नं0-13, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस को निबंधित डाक के माध्यम से तामिला हेतु भेजा गया, जिसका निबंधन सं0-RF632909235IN है। प्रतिवादी दिनांक-16.09.2021 को वकालतनामा सहित हाजरी एवं कारण पृच्छा दाखिल किया। वाद में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-30.09.2021 को निर्धारित की गई। उक्त तिथि को पुकार पर प्रतिवादी अनुपस्थित रहे है। उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु दिनांक-07.10.2021 को तिथि निर्धारित की गई, लेकिन उक्त तिथि को भी प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए। फलतः वाद निस्तारण में हो रहे विलंब को देखते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का पक्ष सुनकर अभिलेख ओदश पर रखा गया।

प्रतिवादी के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा में अंकित किया है कि जब्त मोटर साईकिल का वे स्वामित्व है। पुलिस द्वारा आरोप पत्र में अंकित किया है कि जब्त मोटर साईकिल के पीछे सीट पर बंधे बोरा में से आधा-आधा लीटर वाला कुल 26 पीस देशी चुलाई सराब जिसकी मात्रा करीब कुल 13 लीटर होगा बरामद हुआ है। यह आरोप बिलकुल ही निराधार है। कोई भी व्यक्ति गाड़ी के पीछे सीट पर क्यों देशी चुलाई शराब बोरा में बाँध कर रखेगा, जबकि मोटर साईकिल में डिक्की है। यदि जब्त मोटर साईकिल से शराब का कारोबार किया जाता तो शराब को डिक्की पर रख एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाया जाता। पुलिस द्वारा लगाये गये आरोप बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56(ध) एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। चूँकि जब्त शराब चुलाई देशी शराब है या नहीं? इसकी जाँच पुलिस द्वारा नहीं करवाया गया है। स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा लगाये गये आरोप बिलकुल ही निराधार है। जब्त मोटर साईकिल को प्रतिवादी के पक्ष में विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का कथन है कि उक्त मामले में दर्ज प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुरलीगंज थाना में पदस्थापित श्री सिंहेश्वर कुमार पाठक, पु0अ0नि0 दिनांक-01.07.2021 को सशस्त्र बल के साथ वृंदावन पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहा था। इसी क्रम में मोटर साईकिल पर सवार एक व्यक्ति बधिनियाँ की ओर से आ रहा था। मोटर साईकिल के पीछे सीट पर प्लास्टिक के बोरा में कुछ समान बंधा हुआ है। जैसे ही नजदीक पहुँचे तो रुकने का इशारा किया। हम पुलिस बल को देखकर वह व्यक्ति मोटर साईकिल को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास किया। उक्त व्यक्ति को पुलिस बल के सहायोग से पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई को देख आस-पास के लोग उपस्थित हुए। उपस्थित व्यक्ति में से दो को स्वतंत्र साक्षी बनाकर मोटर साईकिल के सीट पर बंधा बोरा को चेक किया गया। चेक करने पर पाया गया कि बोरा के अन्दर अधा-आधा लीटर वाला 26 पीस आधा-आधा लीटर वाला पोलिथीन में बंधा हुआ देशी चुलाई शराब मात्रा कुल 13 लीटर बरामद हुआ। घटना स्थल पर ही जब्त मोटर साईकिल एवं देशी चुलाई शराब

की विधिवत जब्ती सुची तैयार किया गया है। जिसमें दोनों स्वतंत्र साक्षी एवं मोटर साईकिल तथा अवैध शराब के साथ पकड़े गये अभियुक्त श्री मिस्टर यादव का हस्ताक्षर पृष्टांकित है। जिससे स्पष्ट होता है कि घटना स्थल पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। मोटर साईकिल से अबैध शराब ढ़ोना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना प्रावधान के अनुसार दंडनीय अपराध है, जिसे सी0टी0-100 मोटर साईकिल बिना पंजीयन सं0 वाला जिसका चेचिस नं0-MD2BB7AY9KRF95701, इंजन नं0-PFYRKF01837 के साथ गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि घटना के दिन जब्त मोटर साईकिल से अबैध देशी चुलाई शराब जब्त किया गया है। दर्शित स्थिति में उक्त घटना क्रम में उपयोग में लाया गया मोटर साईकिल प्रावधान के अनुसार अधिग्रहण योग्य है, जिससे अधिग्रहित किया जा सकता है।

प्रतिवादी के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद की दलील सुनने उपरान्त अभिलेख में रक्षित कागजातों का गहन विचारण किया गया। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा दिए गये तर्क तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत जब्त मोटर साईकिल का उपयोग अबैध देशी चुलाई शराब के ढोने के लिए किया जा रहा था, जिसे घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस बल के द्वारा जब्त किया गया है।

अतः बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56(ध) एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत पाये जाने के कारण जब्त सी0टी0-100 मोटर साईकिल बिना पंजीयन सं0 वाला जिसका चेचिस नं0-MD2BB7AY9KRF95701, इंजन नं0-PFYRKF01837 है को अधिग्रहित करते हुए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-58 (2) के तहत राज्यसात (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, मद्यनिषेध मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मोटर यान निरीक्षक, मधेपुरा से जब्त मोटर साईकिल का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी करायेंगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बाली लगाने वालों को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जायेगा। वाहन मालिक निलामी की प्रक्रिया में भाग लेकर उच्चतम बोली अदा कर प्रथमतः वाहन प्राप्त कर सकते है। अन्यथा उक्त वाहन उच्चतम बोली लगाने वालें को, उनसे राशि भुगतान पश्चात् उन्हें दे दी जाऐगी। निलामी की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरान्त वाहन विमुक्ति की सुचना संबंधितों को अपने स्तर से देगें। वाहन निलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवा दी जाऐगी।

उक्त आदेश से विक्षुब्ध पक्ष चाहें तो अपीलीय प्रधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार पटना के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

इस निदेश के साथ वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अधीक्षक, मद्यनिषध, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, मुरलीगंज एवं वाहन मालिक/प्रतिवादियों को भी दें तथा एक प्रति जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

ह0/-
(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता,मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/-
(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0बी0 नं0-.....81......./न्या0, दिनांक.....18-10-2021.....

प्रतिलिपिः प्रतिवादी मिस्टर यादव, पिता स्व0 महेन्द्र प्रसाद यादव, सा0-गम्हरिया वार्ड नं0-13, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, मद्यनिषेध, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।